(16)

संख्या 1213/का-2-समूह "ग"-2001

प्रेषक,

बी० एन० दीक्षित,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

विषय :–सीधी भर्ती का रोस्टर।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए सीधी भर्ती में माडल रोस्टर की अधिसूचना संख्या 4/1–2001–का–2, दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 को जारी की गयी थी, जिसमें कतिपय त्रुटियां घटित हो गयी थीं जिसे निरस्त करके रोस्टर की नई अधिसूचना संख्या 4/1–2001-का–2, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी गयी है।

2—इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 द्वारा जारी रोस्टर को नष्ट कर दिया जाए। यदि इसकी कहीं फोटो प्रति हो तो उसे भी नष्ट कर दिया जाए ताकि उसका अनुचित प्रयोग न हो सके।

3—इस पत्र के साथ संलग्न सीधी भर्ती के रोस्टर की अधिसूचना को ही उपयोग में लाया जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,
बी० एन० दीक्षित,
विशेष सचिव।

संख्या 1213(1)/का–2–समूह "ग"–2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
बी० एन० दीक्षित,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या —299(क-2)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 अक्तूबर, 2001

आश्विन 30, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 4/1-का–2-2001

लखनऊ, 22 अक्तूबर, 2001

अधिसूचना

सा० प० नि०–38

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 481/का–1—94-1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 एवं सरकारी अधिसूचना संख्या 4/1-2001-का–2-2001, दिनांक 8 अक्तूबर, 2001 का उपान्तर करके, राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं :–

1—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
2—अनारक्षित	
3—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
4—अनारक्षित	
5—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
6—अनारक्षित	
7—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
8—अनारक्षित	

9—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
10—अनारक्षित	
11—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
12—अनारक्षित	
13—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
14—अनारक्षित	
15—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
16—अनारक्षित	
17—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
18—अनारक्षित	
19—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–क)
20—अनारक्षित	
21—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
22—अनारक्षित	
23—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
24—अनारक्षित	
25—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
26—अनारक्षित	
27—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
28—अनारक्षित	
29—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
30—अनारक्षित	
31—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
32—अनारक्षित	
33—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
34—अनारक्षित	
35—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
36—अनारक्षित	
37—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
38—अनारक्षित	
39—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–क)
40—अनारक्षित	
41—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
42—अनारक्षित	
43—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
44—अनारक्षित	
45—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
46—अनारक्षित	
47—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
48—अनारक्षित	
49—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)

50—अनारक्षित	
51—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
52—अनारक्षित	
53—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
54—अनारक्षित	
55—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
56—अनारक्षित	
57—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–क)
58—अनारक्षित	
59—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
60—अनारक्षित	
61—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
62—अनारक्षित	
63—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
64—अनारक्षित	
65—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
66—अनारक्षित	
67—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
68—अनारक्षित	
69—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
70—अनारक्षित	
71—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
72—अनारक्षित	
73—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
74—अनारक्षित	
75—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ख)
76—अनारक्षित	
77—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–क)
78—अनारक्षित	
79—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
80—अनारक्षित	
81—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
82—अनारक्षित	
83—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
84—अनारक्षित	
85—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग–ग)
86—अनारक्षित	
87—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग-ख)
88—अनारक्षित	
89—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
90—अनारक्षित	

91—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग-ख)
92—अनारक्षित	
93—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–क)
94—अनारक्षित	
95—अन्य पिछड़ा वर्ग	(अनुसूची–एक, भाग-क)
96—अनारक्षित	
97—अनुसूचित जनजाति	
98—अनारक्षित	
99—अनुसूचित जाति	(अनुसूची–तीन, भाग–ख)
100—अनारक्षित	

2—राज्यपाल महोदय अग्रतर आदेश देते हैं कि उपर्युक्त रोस्टर के अनुसार प्रत्येक विभाग में सीधी भर्ती के लोक सेवाओं और पदों के प्रत्येक संवर्ग के कुल पदों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षित बिन्दुओं को इंगित करके रोस्टर तैयार किया जायेगा तथा उसे वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा जब तक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा। इसके पश्चात् जब भी कोई रिक्त पद होगा तो उसे उस श्रेणी के व्यक्ति से भरा जायेगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।

3—रोस्टर का क्रियान्वयन, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस प्रकार किया जायेगा कि आरक्षण सीधी भर्ती से सम्बन्धित संवर्ग के कुल पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4—यदि किसी सेवा या संवर्ग में केवल एक ही पद हो तो उस पर आरक्षण नही होगा।

कृपया तद्नुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
हरि कृष्ण,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—524 राजपत्र (हिन्दी)—(1328)—2001—597—(कम्प्युटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 17 सा० नियुक्ति—(1320)—2001—5,000—(कम्प्युटर/आफसेट)।